कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
35-राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
ई-मेलः cscd.bhopal@mp.gov.in / jd.scdhobpl@mp.gov.in

क्रमांक/2023-24/शिक्षा-1/ 1193 **भोपाल, दिनांक** 19/05/2023

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम,
भोपाल

विषयः- अनुसूचित जाति/जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 आवेदन हेतु MPTAASC Portal खोलने विषयक ।

विषयान्तर्गत लेख है कि वरिष्ठ स्तर पर हुई बैठकों में प्राप्त निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु आवेदन करने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को नवीन आवेदन करने हेतु पोर्टल खोला जाना है ।

उक्त के संबंध में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु नवीन आवेदन करने से वंचित रह गए विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल बंद हो जाने एवं आगामी वर्ष 2022-23 के आवेदन हेतु पोर्टल बंद होने की तिथि नजदीक आ जाने के कारण उक्त विद्यार्थियों द्वारा आगामी वर्ष हेतु पोर्टल पर आवेदन कर दिया गया है।

अतः अनुसूचित जाति/जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन करने हेतु शेष लाइन डिपार्टमेंट द्वारा विद्यार्थियों का प्रवेश डाटा पोर्टल पर अपलोड करने एवं विद्यार्थियों को आवेदन करने हेतु MPTAASC पोर्टल 30 जून 2023 तक के लिए खोलने की व्यवस्था करें तथा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु आवेदन करने से वंचित रह गए ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आगामी वर्ष 2022-23 के लिए पोर्टल पर आवेदन कर दिया गया है ऐसे विद्यार्थियों हेतु पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के आवेदन स्वीकार किये जाने की व्यवस्था भी करें। साथ ही उक्त आशय की सूचना पोर्टल पर प्रसारित करें।

आयुक्त 19/5/2023
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/2023-24/शिक्षा-1/ 1194 **भोपाल, दिनांक** 19/05/2023

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, सर्वसंबंधित विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आशय की सूचना का अपने जिले में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें एवं समाचार पत्रों में PRO के माध्यम से प्रेस नोट भी जारी करें।

आयुक्त 19/5
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश